क्रम संख्या–64 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 अप्रैल, 2016 ई0

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 130/XXXVI(3)/2016/10(1)/2016

देहरादून, 07 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016'** पर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

परिशिष्ट–'क'

उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2016)

विषय सूची

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	3
2.	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना	3
3.	परिभाषाएं	3–4
4.	भूगर्भ जल प्राधिकरण की स्थापना	4–5
5.	प्राधिकरण के कर्मचारीगण	5
6.	भूगर्भ जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियाँ	6
7.	अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने एवं उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञा पत्र दिया जाना	6–7
8.	अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण	8–9
9.	ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण	9
10.	अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्रों की शर्तों को परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा परिवर्धन की शक्ति	9
11.	अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण	9–10
12.	भू–गर्भ जल के उपयोग के सम्बन्ध में स्वामिस्व (रायलेटी)	10
13.	प्राधिकरण की शक्तियाँ	10–12
14.	आदेश इत्यादि का पालन	12
15.	क्षतिपूर्ति के दावे पर रोक	12
16.	शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन	12
17.	भूगर्भ जल प्राधिकरण के सदस्यों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना	12
18.	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा	12–13
19.	अपराधों का संज्ञान और विचारण	13
20.	भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल का संचयन	13
21.	कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति	13–14
22.	अपराध एवं शास्तियाँ	14
23.	अपराधों का प्रशमन करना	14
24.	कम्पनियों द्वारा अपराध	14–15
25.	अपील	15
26.	नियम बनाने की शक्ति	15

उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2016)

भूगर्भ जल विकास और प्रबंधन एवं उससे संबंधित अथवा प्रशासनिक मामलों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास) एवं प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण अधिनियम, 2016 है।

(2) उसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से लागू होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में नियत किया जाय।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

2. इस अधिनियम के उपबंधों का, कुमांयू तथा गढवाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम, 1975 और उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और विनियामक अधिनियम, 2013 तथा तत्समयय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

परिभाषाएं

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं नियंत्रण का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) ''कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण'' से वह विधि जिसके द्वारा भूगर्भ जल भण्डार का संवर्द्धन प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण की दर से अधिक हो, अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकरण'' से इस अधिनियम के प्रावधानाऐं के अनुसार स्थापित उत्तराखण्ड भूगर्भ जल प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) ''पेयजल'' से पीने और अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए मानव आबादी द्वारा खपत और प्रयोग के लिए जल जिसमें खाना पकाने, नहाने धोने, साफ करने तथा अन्य दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए जल की खपत अथवा प्रयोग सम्मिलित होगा। इसमें जीव जन्तुओं द्वारा जल की खपत भी शामिल होगी।

(ङ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(च) ''भूगर्भ जल'' से वह जल जो किसी संतृप्त क्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे विद्यमान है और जिसे कुएं अथवा किसी अन्य साधन से निकाला

जा सकता है अथवा जो धाराओं और नदियों में झरनों और मूल प्रवाहों के रूप में निकलता है अभिप्रेत है;

(छ) ''नगरपालिका'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित स्वशासी संस्था अभिप्रेत है;

(ज) ''पंचायत'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वशासी संस्था अभिप्रेत है;

(झ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(ञ) ''वर्षा जल संचयन'' से सतही वर्षा जल अथवा उप सतही जलभृत के संग्रहण और भंडारण की तकनीक अभिप्रेत है;

(ट) ''स्वामिस्व (रायलेटी) '' से इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार को भुगतान की जाने वाली स्वामिस्व (रायलेटी) अभिप्रेत है;

(ठ) ''सिंक'' से सभी व्याकरणिक विभेदों के साथ कूप से संबंधित सजातीय अभिव्यक्तियों में नये कूपों की खुदाई, उत्खनन या परिवेधन करना अथवा विद्यमान कूपों को और अधिक गहरा करके (परिधि एवं दीर्घा का) संशोधन करना अभिप्रेत है;

(ड) ''भूगर्भ जल का उपयोगकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह अथवा कोई संस्थान कम्पनी या स्थापना, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये गये घरेलू उपयोग सहित किसी भी प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल निकालता अथवा उपयोग अथवा विक्रय करता हो अभिप्रेत है; और

(ढ) ''कूप'' से ऐसी संरचना जो भूगर्भ जल संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, खोज, विकास, संवर्द्धन, संरक्षण, सुरक्षा अथवा भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भूगर्भ जल की खोज करने या निकालने के लिए खोदा गया है जिसमें खुला कूप, खोदा गया कूप, बोरिंग किया गया कूप, खोदा गया तथा बोरिंग किया गया कूप, नलकूप, फिल्टर प्वाइंट संग्राही कूप एवं अन्तः स्त्रुत गैलरी, पुनर्भरण कुआँ, विन्यास कुआँ अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपभेद सम्मिलित है, परन्तु इसमें ऐसे कूप शामिल नहीं होगें जिससे हैड पम्प या रस्सी एवं बाल्टी जैसी हस्त चालित युत्तियों द्वारा भूगर्भ जल व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उपयोग हेतु निकाला जाता हो, अभिप्रेत है।

अध्याय–दो

भूगर्भ जल प्राधिकरण की स्थापना

4\. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में, यथा–विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से उत्तराखण्ड राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण ज्ञात नाम से एक प्राधिकरण स्थापित करेगी।

(2) प्राधिकरण का गठन निम्नवत संरचित होगा:–

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव या समकक्ष पदों पर कार्यरत हो या इस स्तर से सेवानिवृत्त हुआ हो तथा जिसका पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, होगा।

(ख) अध्यक्ष केन्द्रीय भूमि जल परिषद् द्वारा मनोनीत किए जाने वाला केन्द्रीय भूमि जल परिषद् का कोई एक प्रतिनिधि।

(ग) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित विभागों के सेवारत चार प्रतिनिधि पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएगें, जिनका संबंध भूगर्भ जल के सर्वेक्षण, खोज, विकास एवं प्रबंधन से है:-

(एक) लघु सिचाई विभाग	लघु सिचाई विभाग का कोई अधिकारी, जो अधीक्षण अभियंता के स्तर से न्यून न हो
(दो) वन विभाग	प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
(तीन) पेयजल विभाग	पेयजल निगम अथवा जल संस्थान के प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य महाप्रबन्धक- सदस्य सचिव
(चार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	प्रभारी, उत्तराखण्ड सुदूर संवेदन केन्द्र
(पांच) ऊर्जा विभाग	अधीक्षण अभियन्ता से अन्यून कोई अभियन्ता

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम पांच अन्य सदस्य जो, राज्य सरकार की राय में, भूगर्भ जल से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि रिक्तियां भरने की रीति और अन्य सेवा-शर्तें ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

(4) सदस्यगण अध्यक्ष को जो प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक होगा, सलाह देंगे।

प्राधिकरण के कर्मचारीगण

5. (1) प्राधिकरण को समुचित रूप से काम करने या अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार उतनी संख्या में तकनीकी कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारीगण की नियुक्ति कर सकेगी, जितनी वह आवश्यक समझे।

(2) ऐसे कर्मचारियों के कार्य एवं सेवा की शर्तें वहीं होगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाए।

भूगर्भ जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियां

6. (1) प्राधिकरण सरकार के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेगा।

(2) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी0जी0डब्ल्यू0ए0) सहित विभिन्न विशेषज्ञ निकायों के साथ परामर्श करने के पश्चात् यदि प्राधिकरण यह मानता है कि किसी क्षेत्र में किसी भी रूप में भूमि जल की निकासी अथवा उपयोग दोनों के नियंत्रण एवं विनियमित करने के लिए यह लोक हित में आवश्यक एवं समीचीन है तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऐसी तारीख से, जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट है, से अधिसूचित किये जाने वाले ऐसे किसी क्षेत्र की घोषणा करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देगा। यह घोषणा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी;

परन्तु यह कि अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के पूर्व की नहीं होगी।

(3) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन के अतिरिक्त राज्य में व्यापक प्रसार वाले क्षेत्रीय भाषा के न्यूनतम एक समाचार पत्र जिसका राज्य में व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित की जाएगी तथा ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जाएगी, जिसे सरकार उचित समझे और उस प्रकार की सेवा को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित सभी या किसी रीति को अपना सकेगी, यथा–

(क) उक्त क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों के कार्यालयों के कतिपय सहज–दृश्य भाग में अधिसूचना की प्रति चस्पा करके;

(ख) उक्त क्षेत्र में अधिसूचना की विषयवस्तु के बारे में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उद्‌घोषणा कराकर;

(ग) अन्य ऐसी रीति से जैसा निर्धारित किया जाय।

(4) यदि प्राधिकरण की राय में किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता में सुधार हो गया हो, तो वह राज्य सरकार को केन्द्रीय भूमि जल परिषद् सहित विभिन्न निकायों के परामर्श से ऐसे क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने की सलाह दे सकेगा तथा क्षेत्र को अधिसूचित करने की उपर्युक्त उपधारा (3) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार कार्यवाही कर सकेगी।

(5) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने का उपाय करेगा कि भूगर्भ जल के संसाधनों का दोहन जलभृतों की प्राकृतिक पूर्ति से अधिक नहीं हो रहा है और जहां कही भी असमानता है, विनियामक उपायों के अतिरिक्त भूगर्भ जल संसाधनों की वृद्धि सुनिश्चित करने के उपाय किये जायेंगे।

(6) प्राधिकरण राज्य के भूगर्भ जल पर आंकडों के आधार का रख–रखाव और उसे अद्यतन करेगा।

अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालनें एवं उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञा पत्र दिया जाना

7. (1) भूगर्भ जल का कोई उपयोगकर्ता धारा 3 के खण्ड (च) में यथा पारिभाषित जो या तो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किसी प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्र में कुआं लगाना चाहता हो, वह इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण को आवेदन करेगा और प्राधिकरण द्वारा जब तक इस हेतु उसे अनुज्ञा पत्र प्रदान नही कर

दिया जाता तब तक वह उसे लगाने संबंधी कोई कियाकलाप नहीं करेगा;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को हस्तचलित पम्प लगाने अथवा हस्तचलित युक्तियों के द्वारा जल को निकाले जाने वाले कुएं के प्रस्ताव पर इस हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी प्रविष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए और उस रीति से दिया जायेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यदि भूगर्भ जल प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित के विरूद्ध नहीं होगा तो वह जल की निकासी और उपयोग करने का अनुज्ञा पत्र, यथा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दे सकेगा। इसमें आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर पर्याप्त आकार की कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं निर्मित करने की शर्त भी लगाई जा सकेगी;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस आवेदन के प्राप्त होने से 90 दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान किए जाने अथवा इनकार किए जाने संबंधी निर्णय से अवगत कराना होगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा पत्र देने या देने से इन्कार करते समय प्राधिकरण को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:-

(क) उद्देश्य अथवा प्रयोजन, जिसके लिए भूगर्भ जल का उपयोग किया जाना है;

(ख) अन्य प्रतिस्पर्द्धी उपयोगकर्ताओं का अस्तित्व;

(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;

(घ) दोहन किये जाने वाले भूगर्भ जल की गुणवत्ता;

(ङ) उपयोग के संबंध में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;

(च) जल का उपयोग करने संबंधी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल संरचनाओं के बीच की दूरी (स्पेसिंग);

(छ) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार,

(ज) अपने आस-पास के क्षेत्र में किसी पेय जल स्रोत की जल उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना;

(झ) इससे संबंधित कोई अन्य कारक।

(6) अनुज्ञा पत्र यथा विहित प्रपत्र में होगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण

8. (1) धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोगकर्ता प्राधिकरण के गठन की तारीख से 120 दिनों के भीतर आवेदन पत्र में ऐसे विवरण, ऐसी विवरणियां और शुल्क के साथ जैसा विहित किया जाय, उसके विद्यमान उपयोग को मान्य किये जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण को आवेदन करेगा;

परन्तु यह कि यदि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि उपयोगकर्ता को समय पर आवेदन नहीं कर सकने के पर्याप्त कारण विद्यमान है तो प्राधिकरण उक्त एक सौ बीस दिनों की अवधि के बीत जाने के पश्चात् भी किसी आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन दिए गये आवेदन में प्रस्तुत किए जाने वाले ब्योरों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा–

(एक) जल स्रोत का विवरण, यथा कूप का प्रकार इसकी वास्तविक स्थिति;

(दो) जल को ऊपर ले जाने के लिए प्रयुक्त साधन;

(तीन) प्रतिदिन भूगर्भ जल की निकासी की मात्रा और परिचालन के घंटे;

(चार) प्रत्येक वर्ष में उपयोग की कुल अवधि;

(पांच) भूगर्भ जल की निकासी करने के प्रयोजन;

(छः) यदि भूगर्भ जल की आवश्यकता पेयजल प्रयोजन के लिए है तो इससे लाभान्वित होने वाली आबादी;

(सात) सिंचाई कूप के मामले में उसका स्थान एवं सिंचित क्षेत्र;

(आठ) राज्य नगरपालिका या समुदाय द्वारा चलाई जा रही जलापूर्ति योजनाओं के मामले में निकाली गई जल की मात्रा विशाखन अथवा पंपिग प्वाइटों और उनके स्थानों के अतिरिक्त शामिल अन्य कार्यकलापों के ब्योरे।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना लोक हित के प्रतिकूल नहीं होगा तो वह उन शर्तों और प्रतिबन्धों जो विहित की जाये, के साथ जल के निरंतर उपयोग को प्राधिकृत करते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र दे सकेगा;

परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार नहीं किया जाएगा।

(4) आवेदन के प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर आवेदक को प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुमति प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने संबंधी निर्णय से अवगत कराना होगा।

(5) प्राधिकरण को उपधारा (3) के अधीन अनुमति प्रदान करने अथवा

अस्वीकार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा:-

(क) भूगर्भ जल को प्रयुक्त करने के लिए उद्देश्य अथवा प्रयोजन;

(ख) अन्य प्रतिस्पर्द्धी उपयोगकर्ताओं का अस्तित्व;

(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;

(घ) उपयोग के संबंध में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;

(ङ) प्रयुक्त किए जा रहे जल के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल संरचनाओं के बीच की दूरी (स्पेसिंग)

(च) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार,

(छ) इससे संबंधित कोई अन्य कारक।

(6) पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा विहित किया जाये।

(7) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा लंबित आवेदन पत्र निर्णय संसूचित करने तक अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोगकर्ता उसी रीति से और उतनी ही मात्रा में भूगर्भ जल का निरंतर उपयोग करने का हकदार होगा जितना कि वह अपने आवेदन पत्र की तारीख से पहले हकदार था।

(8) यदि कोई पंजीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो इस तथ्य को भूगर्भ जल के उपयोगकर्ता द्वारा प्राधिकरण के ध्यान में तुरंत लाया जाना आवश्यक होगा।

ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण

9. राज्य में प्रत्येक रिंग संचालक अपनी मशीनरी को प्राधिकरण में ऐसी रीति और ऐसे शुल्क के भुगतान जैसा विहित किया जाय, पंजीकरण करायेगा और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्रों की शर्तों को परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा परिवर्धन की शक्ति

10. यथास्थिति, अनुज्ञा पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के पश्चात् किसी भी समय प्राधिकरण तकनीकी कारणों से जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे, अनुज्ञा पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन, संशोधन अथवा फेरबदल कर सकेगा, बशर्ते भूगर्भ जल के उपयोगकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया हो;

परन्तु यह कि ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लेगा कि खड़ी फसल (फसलों) को नुकसान न पहुँचे।

अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण

11. यदि प्राधिकरण इस आशय से अथवा इससे अन्यथा किए गए इस संदर्भ से संतुष्ट है कि –

(क) धारा 7 की उपधारा (3) अथवा धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान किया गया अनुज्ञा-पत्र अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ख) अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक बिना युक्तिसंगत कारण से शर्तों का अनुपालन करने में विफल हो गया हो जिसके तहत अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है अथवा इस अधिनियम अथवा

इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है।

अथवा

(ग) ऐसी स्थिति हो गई हों जिससे भूगर्भ जल की निकासी अथवा इसके उपयोग को परिसीमित करना आवश्यक है।

तो ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले–बिना, जिसके लिए अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो तो प्राधिकरण अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक को कारण पृच्छा के लिये अवसर दिये जाने के पश्चात् अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र को जैसा कि मामला हो निरस्त कर सकेगा।

भू–गर्भ जल के उपयोग के संबंध में स्वामिस्व (रायलेटी)

12. (1) किसी अधिसूचित स्थान में भूगर्भ जल का प्रत्येक प्रयोक्ता भूगर्भ जल को निकालने के लिए स्वामिस्व (रायलेटी) का भुगतान ऐसी दर पर और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, करेगा;

परन्तु यह कि भूगर्भ जल का प्रयोक्ता जो उसका प्रयोग एक हैक्टेअर भूमि से कम में कृषि/ औद्यानिक या पुष्प उद्योग की सिंचाई के लिए करेगा चाहे वह स्वयं की भूमि हो अथवा पट्टे की या दोनों प्रकार की, वह इस धारा के अधीन स्वामिस्व (रायलेटी) के भुगतान करने से छूट प्राप्त कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार स्वामिस्व (रायलेटी) के ऐसे भाग को जैसा वह विहित करे, भूगर्भ जल स्रोतों के पेयजल स्कीमों या अन्य किसी प्रयोजनों के लिये तथा विकास के अनुरक्षण हेतु प्रयोग में ला सकेगा।

प्राधिकरण की शक्तियां

13. (1) प्राधिकरण अथवा उसकी ओर से लिखित में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को निम्न शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, अर्थात–

(क) किसी भी सम्पत्ति (निजी या सरकारी) पर अनुसंधान करने तथा भूमि अथवा सतही या जमीन के नीचे अवस्थित जल से सबंधित कोई माप करने के लिए प्रवेश करना;

(ख) खोदे/गाड़े गये या खोदे/गाड़े जा रहे कूप या उससे उत्खनित मिट्टी अथवा अन्य सामग्रियों की जांच करना;

(ग) ऐसे कूपों से ऐसी मृदा अथवा अन्य सामग्रियों अथवा निकाले गए जल के नमूने लेना;

(घ) कूप खोदने/गाड़ने वाले व्यक्तियों को, लिखित आदेश देना कि कार्य समापन या कार्य परित्याग की तिथि से तीन माह से अनधिक अवधि के लिए मिट्टी या उससे उत्खनित सामग्री के नमूनों को उस रीति से रखने एवं परिरक्षण करने की, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, तथा वैसे व्यक्ति उक्त आदेश का पालन करेंगे;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कियान्वित करने के लिए वांछित कोई सूचना (खोदे जा रहे अथवा खोदे गए कूपों के व्यास अथवा गहराई

सहित जल स्तर अथवा प्रभावित स्तर और बाद में पुनर्भारित/रुका हुआ स्तर, कुएं को खोदे जाने में आने वाली परत और प्रभावित भूगर्भ जल की गुणवत्ता) प्राप्त करने के लिए निरीक्षण करने तथा संबंधित अभिलेख अथवा दस्तावेज की प्रातियां प्राप्त करने तथा तत्सम्बन्धी पूछताछ करना;

(च) किसी भी भूगर्भ जल निकासी संरचनाओं संबंधी जल मापन साधन की स्थापना के लिए भूगर्भ जल प्रयोक्ता को निर्देश देना;

परन्तु जहां भूगर्भ जल के उपयोगकर्ता द्वारा 60 दिनों की अवधि के भीतर उसे जारी निदेशों का अनुपालन नही किया जाता है, तो प्राधिकरण स्वयं जलमापन यंत्र लगा सकेगा और इस संबंध में अनुपालन न करने वाले उपयोगकर्ता से इसकी लागत वसूल कर सकेगा;

(छ) अवैध रूप से कुआं खनन के लिए प्रयुक्त उपकरण/साधन को जब्त करना और पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किये गये कार्य को ध्वस्त करना;

(ज) भूगर्भ जल के किसी उपयोगकर्ता को इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाये गए नियमों का अनुपालन न होने पर भूगर्भ जल की निकासी को बंद करने, विद्युत विच्छेद करने अथवा विहित रीति से अवैध पाये जाने पर किसी भी द्रव चालित (हॉइड्रालिक) कार्य को ध्वस्त करने का निदेश देना;

(झ) ऐसे किसी स्थान में तथा ऐसे सहयोग से जो वह आवश्यक समझे, ऐसे किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, तो उसे तीस दिनों से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूगर्भ जल न निकालने या उसका उपयोग न करने हेतु लिखित आदेश देना;

(ञ) इस अधिनियम के उद्देश्यों अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम को कियान्वित करने के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति में जहां कूप की खुदाई, जल निकासी अथवा भूगर्भ जल का उपयोग हो रहा हो में ऐसे किसी परिसर का द्वार तोड़ कर खोलने की शक्ति सम्मिलित है;

परन्तु यह कि द्वार तोड़ने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब परिसर का स्वामी अथवा परिसर में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के वहां उपस्थित रहने पर तथा द्वार खोलने के लिए कहने पर उसके द्वारा द्वार खोलने से मना कर दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन तलाशी या अभिग्रहण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2, 1974) के उपबंध जहां तक हो सके उसी प्रकार लागू

होगें, जिस प्रकार उक्त संहिता की धारा 93 के अधीन निर्गत अधिपत्र के प्राधिकार के अधीन कोई तलाशी या अभिग्रहण किए जाने पर लागू होते है।

(4) जहां प्राधिकरण उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अन्तर्गत कोई यांत्रिक उपकरण/उपस्कर जब्त करता है तब शीघ्रताशीघ्र उसे दण्डाधिकारी को सूचित करना होगा तथा उसे अपनी हिरासत में लेने के लिए उसका आदेश प्राप्त करना होगा।

आदेश इत्यादि का पालन

14. (1) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रत्येक आदेश की तामिली निम्न निम्न प्रकार से की जायेगी:—

(क) नोटिस के आदेश को देने अथवा तामील करने अथवा उस उपयोगकर्ता को डाक द्वारा भेजने जिसके लिए यह अभीष्ट है, अथवा

(ख) यदि ऐसा उपयोगकर्ता उपलब्ध नहीं होता है तो नोटिस के आदेश को उसके रहने के अंतिम ज्ञात स्थान अथवा व्यवसाय के स्थान के किसी सहज दृश्य भाग में चस्पाकर अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य/नौकर को देकर अथवा भूमि या भवन के कुछ सहज दृश्य भाग पर जहां कुएं की खुदाई की जा रही है, चस्पाकर।

(2) जहां व्यक्ति जिसे आदेश अथवा नोटिस दिया जाता है, नाबालिग है, तो उपधारा (1) में दी गई रीति के अनुसार उनके संरक्षक को तामील नाबालिक को की गई तामील मानी जाएगी।

क्षतिपूर्ति के दावे पर रोक

15. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के आधार पर उसे हुई किसी हानि के लिए राज्य सरकार से किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

16. प्राधिकरण लिखित में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अथवा निर्वहन किये जाने वाले सभी अथवा किन्ही शक्तियों अथवा कर्तव्यों का, ऐसी परिस्थितियों तथा ऐसी अवस्थाओं में और उन शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई हो, जिनका उल्लेख उक्त आदेश में किया जायेगा, प्रयोग अथवा निर्वहन आदेश में निर्धारित किसी नगरपालिका, पंचायत, संस्था या प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा किया जा सकेगा।

भूगर्भ जल प्राधिकरण के सदस्यों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना

17. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते समय प्राधिकार के सभी सदस्य एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक माने जायेगें।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के विरूद्ध सुरक्षा

18. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई अथवा करने का विचार रखने के लिए प्राधिकरण अथवा सरकार के किसी अन्य अधिकारी अथवा किसी सदस्य अथवा प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, याचिका अथवा

कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगी।

अपराधों का संज्ञान और विचारण

19. (1) प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के न्यायालय से निम्न किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जायेगा।

अध्याय–तीन

भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल का संचयन

20. (1) भूगर्भ जल स्थिति में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण राज्य में पुनर्भरण वाले उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर सकेगा और इन क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन अपनाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। प्राधिकरण राज्य सरकार के संबंधित विभागों को अधिसूचित क्षेत्रों के अधीन आनेवाली सभी विकासात्मक योजनाओं में वर्षा जल संचयन को सम्मिलित करने के लिए उचित निदेश दे सकेगा। अधिसूचित क्षेत्रों में आनेवाले शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरण 1000 वर्ग मीटर अथवा अधिक के क्षेत्र वाले सभी आवासीय, वाणिज्यिक सीमाओं और अन्य में निश्चित अवधि के अन्दर निर्धारित रीति से आवश्यक वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा और ऐसा न होने पर प्राधिकरण ऐसी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर सकेगा तथा दण्ड सहित उसकी लागत वसूल सकेगा, जैसा विहित हो।

(2) सम्बन्धित सुसंगत विधियों में अन्य किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति नगर निगम या कोई स्थानीय प्राधिकार 1000 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के निर्माण की स्वीकृति देते समय भवन के छत पर जल संचयन संरचना के निर्माण की शर्त लगा सकेगा तथा इसके कम में दिए गए निदेश के अनुपालन के उपरांत ही भवन में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति हेतु स्थायी संयोजन दिया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण सरकारी एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/शिक्षण संस्थाओं/उद्योगों/ व्यक्तियों के माध्यम से वर्षा जल संचयन और भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जनजागरूकता और प्रशिक्षण कार्यकमों के संवर्धन के लिए कदम उठा सकेगा।

अध्याय–चार

विविध

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

21. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपराध एवं शास्तियां

22. यदि कोई भूगर्भ जल उपयोगकर्ता–

(क) इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है,

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है,

तो वह –

(एक) प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रूपए तक का जुर्माना, और

(दो) उसके बाद के अपराध के लिए, छह माह तक का कारावास, अथवा दस हजार रूपए तक के जुर्माने से अथवा दोनो से, दण्डनीय होगा।

परन्तु यह कि कोई भी न्यायालय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लिखित रिपोर्ट के सिवाय् किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का प्रशमन करना

23. कार्यवाही संस्थित करने के चाहे पूर्व या बाद में, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का यथाविहित रीति से प्राधिकरण द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

24. (1) इस अधिनियम के अधीन जब कभी किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो, अपराध करने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभार में था अथवा कम्पनी के कार्य संचालन के लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या सहयोग से किया गया हो अथवा उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया हों, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा;

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा अपराध रोकने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''कम्पनी'' से कोई निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है, और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपील

25. (1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी निर्णय अथवा कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति, की गई कार्रवाई अथवा निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर यथाविहित फीस का भुगतान कर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा;

परन्तु यह कि यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक के पास अपील को समय पर न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान है तो उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद भी वह अपील स्वीकार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई कोई अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, यथाशीघ्र अपील का निस्तारण करेगा।

नियम बनाने की शक्ति

26. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्–

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, सेवा अवधि और सेवा शर्तें;

(ख) प्राधिकरण के कर्मचारियों के कृत्य एवं सेवा शर्तें;

(ग) धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन अधिसूचना तामील करने की अन्य रीति;

(घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्रपत्र तथा आवेदन के साथ दिये जाने वाला विवरण;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्रपत्र;

(च) धारा 7 की उपधारा (6) तथा धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञा पत्र का प्रपत्र तथा पंजीकरण का प्रमाण पत्र;

(छ) वह रीति जिससे धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन मृदा अथवा अन्य सामग्री के नमूने रखे एवं संरक्षित किये जायेंगे;

(ज) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी का निर्धारण एवं अपील आवेदन के साथ शुल्क का निर्धारण;

(झ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाने वाला हो या किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियमों को, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

354/16

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

राज्य की जनसंख्या में निरंतर बढोत्तरी के फलस्वरूप पेयजल, औद्योगिकरण के प्रयोग तथा सिंचाई के प्रयोजनों के लिए भूगर्भ जल का निरंतर दोहन किया जा रहा है। इस क्रम में उपलब्धता के अनुसार भूगर्भ जल के दोहन के लिए भारत सरकार द्वारा भूगर्भ जल के नियंत्रण पर कानून अधिनियमित किये जाने के लिए एक मॉडल ड्राफट राज्यों के उपयोगार्थ प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में विधि को अधिनियमित किये जाने के लिए निरंतर राज्यों से अनुरोध किया जाता रहा है।

2– प्रस्तावित विधेयक भूगर्भ जल के दोहन के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसा किया जाना भविष्य के लिए आवश्यक और अपरिहार्य भी है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधान सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तावित है।

मंत्री प्रसाद नैथानी,
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधायी / 197–2016–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।